भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 2679

उत्तर देने की तारीख: 04.08.2026

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम

2679. श्री अतुल गर्ग:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2025-26 के दौरान राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) के अंतर्गत गाजियाबाद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में रियायती ऋण प्राप्त करने वाले सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान गाजियाबाद में लाभार्थियों को यंत्रीकृत सफाई उपकरण, वाणिज्यिक वाहन खरीदने तथा लघु उद्यम स्थापित करने के लिए वितरित किए गए रियायती ब्याज दर वाले ऋण का ब्यौरा क्या है;

(ग) गाजियाबाद नगर निगम क्षेत्रों में सीवर की मैनुअल सफाई करने वाले कर्मियों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण आयोजित करने तथा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट उपलब्ध कराने हेतु उपयोग किए गए कुल वित्तीय अनुदान का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मंत्रालय ने गाजियाबाद में जोखिमपूर्ण सफाई कार्य करने वाले कर्मियों द्वारा बिना संपार्श्विक गारंटी के संस्थागत बैंक ऋण प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों की पहचान की है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गाजियाबाद के सभी सफाई कर्मचारियों को यंत्रीकृत सुरक्षित सफाई नेटवर्क से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से विशिष्ट कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क): राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) रियायती ऋण संबंधी योजनाओं को संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा नामित राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों और उन पार्टनर बैंकों के माध्यम से लागू करता है, जिन्होंने एनएसकेएफडीसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

वर्ष 2025-26 के दौरान गाजियाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लक्षित समूह के लिए एनएसकेएफडीसी की ऋण संबंधी योजनाओं के तहत रियायती ऋण के लिए राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी और उत्तर प्रदेश के पार्टनर बैंकों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख): वर्ष 2025-26 के दौरान गाजियाबाद में मशीनीकृत सफाई उपकरण/वाहन खरीदने के लिए एनएसकेएफडीसी की ऋण संबंधी योजनाओं के तहत लाभार्थियों को कम ब्याज वाला ऋण वितरित नहीं किया गया है। तथापि, वर्ष 2025-26 में गाजियाबाद में लक्षित समूह के 28 लाभार्थियों को 28 मशीनीकृत सफाई वाहन/उपकरण खरीदने के लिए 'राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम कार्ययोजना' (नमस्ते) योजना के तहत 1.79 करोड़ रुपये की अग्रिम पूंजीगत सब्सिडी जारी की गई है।

(ग): नमस्ते योजना के तहत गाजियाबाद में 123 सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों (एसएसडब्ल्यू) के व्यावसायिक सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए 1.71 लाख रुपये का उपयोग किया गया है। गाजियाबाद में 545 एसएसडब्ल्यू के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट के संबंध में 21.79 लाख रुपये का उपयोग किया गया है।

(घ): ऐसी कोई कठिनाई सामने नहीं आई है।

(ड.): नमस्ते योजना के तहत सीवर, सेप्टिक टैंक और नालियों की मशीनीकृत सफाई के लिए उपकरण और वाहन खरीदने हेतु सफाई कर्मचारियों और निजी स्वच्छता सेवा संचालकों (पीएसएसओ) को परियोजना की लागत का 50% तक की अग्रिम पूंजीगत सब्सिडी दी जाती है।
